न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

उनवान महेन्द्र बनाम सुरेन्द्र

दमा संख्या / वर्ष 135 / 2010

16/6/22

पत्रावली पेश हुई। दिनांक 09.03.2022 को जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 23.05.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभयपक्षों को आपत्ति पेश करने हेतु समय प्रदान किया गया। दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब वादी द्वारा दिनांक 13.06.2022 को पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। अतः पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति कुर्रेजात नियत की गई। इस दौरान दिनांक 31.05.2022 को प्रार्थी जगदीश पुत्र कजोड़ द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब अप्रार्थी (वादी) द्वारा दिनांक 07.06.2022 को पेश किया गया व पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी हेतु नियत की गई।

दिनांक 14.06.2022 को उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पक्षकारों की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी पर निर्णय किया गया। बहस उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी प्रार्थी के आवश्यक (necessary) या प्रोपर पक्षकार न होने के कारण खारिज किया जाता है। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया है।)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 01 नियम 10 सीपीसी 1908 की बहस उपरान्त उभयपक्षों की कुर्रेजात आपत्ति पर बहस सुनी गई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली पर मनन कर प्रार्थना पत्र कुर्रेजात आपत्ति का निर्णय किया गया जो निम्नानुसार है:-

निर्णय- प्रार्थना पत्र कुर्रेजात आपत्ति

प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में तीन आपत्तियां पेश की, जो बिंदुवार निर्णित की गई:-

आपत्ति-1: प्रार्थी ने सर्वप्रथम यह आपत्ति पेश की तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रस्तावित कुर्रेजात में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेशों का अंकन है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कार्यवाही किया जाना विधिसंगत नहीं है।

इस बाबत पत्रावली में प्रस्तुत माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय आदेश दिनांक 02.[illegible].2019 का मनन कर पाया गया कि [illegible] माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा "Lower Court" की कार्यवाही बाबत कोई रोक के आदेश पारित नही किये गये। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निर्णय तो पारित किया जा सकता है, परन्तु उस निर्णय की पालना तहसीलदार जयपुर द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय व अन्य न्यायालयों के स्थगन

रजिस्ट्रार (आर.ए.एस.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेशों इत्यादि के अनुरूप ही की जानी चाहिये। अतः [illegible] आपत्ति खारिज की जाती है।

आपत्ति–2: प्रार्थी ने अपनी आपत्ति बाबत प्रार्थना पत्र [illegible] उल्लेख किया कि तहसीलदार जयपुर द्वारा मौके के कब्जे अनुसार कुर्रेजात तैयार नहीं की गई। इस बाबत न्यायालय के प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.03.2022 के आदेश के अवलोकन कर पाया गया कि उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश में विवादग्रस्त कृषि भूमि का तकासमा राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल नियम) 18 से 21 अनुसार करने के आदेश प्रदान किये गये थे न कि केवल कब्जे अनुसार तकासमा करने के आदेश थे। अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर का अधिकार होता है। अतः तकासमा कब्जें के साथ–साथ मिट्स एण्ड बाउण्डस व "land consolidation" को ध्यान में रख कर किया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रार्थी की यह आपत्ति खारिज की जाती है।

आपत्ति–3: प्रार्थी ने कुर्रेजात आपत्ति में कहा कि तहसीलदार जयपुर ने बिना मौके पर उपस्थित हुये व बिना तामील करवाये कुर्रेजात तैयार की गई। जिसके खंडन में वादी ने कथन किये कि तहसीलदार जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के बाबत विधिवत नोटिस जारी किये गये थे व कुर्रेजात मौके पर उपस्थित होकर ही बनाई गई है। तहसीलदार जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इसका स्पष्ट अंकन किया गया है। अतः यह आपत्ति आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 23.05.2022 को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आदिनांक मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई।

अतः यह न्यायालय प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 09.03.2022 बाबत प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 के [illegible] में अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान क[illegible] है। [illegible] जयपुर इस अंतिम डिक्री की [illegible] व अन्य न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप करें। [illegible]

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/6/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested